न्यायालय नायब तहसीलदार कोटपूतली जयपुर(राज.)

पीठासीन अधिकारी

भागीरथ राम (आरटीएस)

दिनांकः 2.5.18

मि.न018/2018

सरकार बनाम अजय सिंह वगै0

निर्णय

पत्रावली पेश हुई । गैर सायलान अनुपस्थित।

सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार है कि पटवारी हल्का कल्यांण पुरा कला ने एक रिर्पोट इस आशय कि पेश कि है कि सम्वत 2075 में वाके ग्राम कल्यांण पुरा कलां तहसील कोटपूतली के ख0 न0 606/0.19 किस्म गै0मु0पहाड ,601/0.12 किस्म जमीन सिवायचक,603/0.24 किस्म जमीन सिवाय चक पर अजयसिंह पुत्र जसराज ,नीलम पत्नि अजय सिंह जाति अहीर निवासी कल्यांण पुरा कलां तहसील कोटपूतली ने बाडा बनाकर अतिक्रमण कर लिया है।

रिर्पोट पटवारी दर्ज रजिस्टर कर । गैर सायलान को विधिवत LR\ACT 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस दिये गये । बाद तामिल नोटिस संलग्न किये गये । सुचनाप्रान्त गैर सायलान उपस्थित नही आये । अत गैर सायलान के विरूद एक पक्षीय कार्यवाही किया जाना उचित हैं ।

अत:गैर सायलान अजय सिंह पुत्र जसराज ,नीलम पत्नि अजय सिंह जाति अहीर निवासी कल्यांण पुरा तहसील कोटपूतली को वाके ग्राम कल्यांण पुरा कलां **तहसील कोटपूतली के खसरा नंबर 606/0.19 किस्म जमीन गै0मु0पहाड ,601/0.12,603/0.24 किस्म जमीन सिवाय चक पर अतिकमी घोषित करते** हुये उक्त आराजियात से गैरसालान अजय सिंह पुत्र जसराज, नीलम पत्नि अजय सिंह जाति अहीर निवासी कल्यांण पुरा को भौतिक रूप से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते हैं तथा नाजायज रूप से अतिक्रमण करने के आरोप में लगान राशी17.6 का पचास गुणा 880रू अर्थ दण्ड के रूप में जुर्माना किया जाता है।

निर्णयानुसार बेदखली,पैनल्टी वसुली हेतु भू0 अ0 नि0 व पंटवारी हल्का को तहरीर जारी हो व माग कायमी हेतु तहसील राजस्व लेखा कार को लिखा जावे । निर्णयानुसार कार्यवाही पूर्ण हो कर पत्रावली बाद तकमिल दखील दफतर होकर नम्बर से कम हो ।

निणर्य आज दिनाक 2.5.18 को सरे इजलास सुनाया गया ।

रूपये कागम किये गये ।
क्र 2008 .. 019 .... के रा० स० 4
के पृष्ठ संख्या 120 पर 880 रू

राजस्व लेखाकार
कोटपूतली